



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक ८६) /अकादमी/ संबद्धता/2021

भोपाल, दिनांक ०५-८-२)

संशोधित अधिसूचना

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों जिन्हें आयुक्त उच्च शिक्षा भ.प्र. शासन भोपाल द्वारा जिन महाविद्यालयों को १.१ जुलाई २०२१ के पश्चात अनापत्ति जारी किया गया है एवं जिन महाविद्यालयों द्वारा कोविड महामारी के कारण शुल्क जमा नहीं कर पाये हैं सत्र २०२१-२२ की स्थाई/अस्थाई संबद्धता/संबद्धता की निरंतरता, नवीन महाविद्यालय, नवीन विषय प्रारंभ करने हेतु भ.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल / केन्द्रीय निकाय की अनुमति के साथ विश्वविद्यालय में आवेदन करने हेतु पूर्व जारी अधिसूचना क्रमांक ७४८/अकादमी/संबद्धता/२०२१ दिनांक ०५.०७.२०२१ द्वारा जारी की गई थी जिसमें निम्नानुसार वृद्धि की जाती है :-

क्र	समस्त पाठ्यक्रम/संकाय/सामान्य/व्यावसायिक	अंतिम तिथियाँ
१	नवीन शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों नवीन संकाय, नवीन विषय प्रारंभ करने हेतु	१० August २०२१
२	शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों की पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों की स्थाई/अस्थाई संबद्धता की निरंतरता आवेदन करना समस्त संकाय	१० August २०२१

NOTE :-

- विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक ०५.०८.२०१९ के निर्णयानुसार नियंत्रित अंतिम तिथि के पश्चात आवेदनों पर ५०% अधिगार लिया जावेगा। समस्त मूल शुल्क पर १८% GST अतिरिक्त देय होगा।
- महाविद्यालय को MP-Online के माध्यम से आवेदन करने की अंतिम तिथि, पश्चात, पांच दिवस के अन्दर संपूर्ण आवेदन पत्र (Part-A) मय संलग्नकों प्रस्तुत दस्तावेजों को तालिकानुसार फ्लेग के साथ प्राचार्य/संस्था के सचिव से अनिवार्य रूप से सत्यापित करवाकर महाविद्यालय की सील सहित अकादमी कक्ष में प्रस्तुत करजा अनिवार्य होगा।
- नवीन आवेदित महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि विद्यार्थियों द्वारा पाठ्यक्रम में प्रवेश तभी दिया जावे जब कि महाविद्यालय विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त की हो। किसी भी महाविद्यालय के द्वारा विश्वविद्यालय की संबद्धता प्राप्त किये खगोर विद्यार्थियों को प्रवेश देता है तो इसकी संपूर्ण जबाबदारी संबंधित महाविद्यालय/संस्था की होगी। विश्वविद्यालय की कोई जबाबदारी नहीं होगी। ऐसे दोषी पाये गये महाविद्यालय के अन्य पाठ्यक्रमों द्वारा संबद्धता स्वद करने की कार्यवाही की जाएगी। आवलाईन आवेदन नहीं करने पर अस्थाई संबद्धता/स्थाई संबद्धता/नवीनीकरण/टीट संस्था में वृद्धि प्रकरण पर कार्यवाही नहीं की जाएगी। जिसकी संपूर्ण जबाबदारी संबंधित महाविद्यालय/संस्था प्रमुख की होगी।
- महाविद्यालयों से प्राप्त किया जाने वाली शुल्क पूर्व बकाया शुल्क का विवरण लेखा www.bubhopal.ac.in पर प्रदर्शित किया गया है। शुल्क संबंधी पत्रों का महाविद्यालय द्वारा प्रतिक्षा नहीं की जावे, एवं सभी रीमा का ध्यान स्वें।
- उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पारप्सरिक एवं विधि (लो) पाठ्यक्रमों के लिये जारी अनापलि प्रमाण-पत्र / निरंतरता आदेश के पश्चात ०७ दिवस के अन्दर संबंधित विश्वविद्यालय में निरंतरता / संबद्धता हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा।

कुलसचिव
सहायक कुलसचिव, अकादमी
भोपाल, दिनांक ०५-८-२१

पृ. क ८६२/अकादमी/संबद्धता/२०२१

प्रतिलिपि :

- बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से संबद्ध समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं डीन लीडी और पालनार्थ।
- राज्यपाल के अवर संवित राजभवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- अवर सचिव उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग संतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय संचालक राष्ट्रीय अध्यापक परिषद इयामला हिल्स मानस भवन, भोपाल
- संचालक तकनीकी शिक्षा संतपुड़ा भवन भोपाल
- उपकुलसचिव परिषा/गोपनीय विद्यार्थी बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
- कुलसचिवजी/कुलसचिवजी के निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित
- टेबसाईट प्रमाण, उपरोक्त अधिसूचना को बैबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- संबंधित नस्ती।

उप-कुलसचिव, अकादमी